

दिनांक

संस्था/प्राधान्य


हस्ताक्षर

20/11

पत्रावली पेश हुई, तहसीलदार आसिया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआर एक्ट 1956 में परस्तुत कए निवेदन किया है कि जमाबंदी संग्रहीकरण कार्य में जमाबंदी में दर्ज खसरा का नक्का में गलत टू बन मेंपिंग किया जा रहा है जिसमें ज्ञात आया कि ग्राम ... माखरोडी खसरा नं. 968, 958 जमाबंदी में एक एक जमाबंदी रखे गए हैं पर एक में दो नं. लिखे हैं जिनको एक किया जाना है, नतीजा यह है कि एक नाम में दो जमाबंदी नं. हैं बाकल खसरा नं. 968 को दो नं. में लिख दिया गया है। सही जमाबंदी जमाबंदी एवं संग्रहीकरण के प्रस्ताव को अथवा खसरा नं. "परिशिष्ट 1" का निर्णय का भाग घोषित किया जाकर प्रस्ताव पत्र में अंकन की स्वीकृति दी जाना है।

537

2/11/15


 उप सचिव अधिकारी
 तहसील
 आसिया

